राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 अगस्त, 1969

क्रमांक 2968-रIII-69/20060.—श्री पन्ना राम, पुत्र श्री अमीर चन्द, निवासी मकान नं० 1614/101, बलदेव नगर, अम्बाला शहर की मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री पन्ना राम की मुबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16375-जे०एन०-III-66/16719, दिनांक 22 सितम्बर, 1966, के द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति चान्द कौर, विधवा श्री पन्ना राम के नाम खरीफ, 1967 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग संनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा ।

क्रमांक 2394-रIII-69/20065.—श्री हरि सिंह पुत्र मान सिंह निवासी गढ़ी बोलनी, तहसील रिवाड़ी, जिला गुड़गांव की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम 1948 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है कि श्री हरि सिंह की मुबलिक 100 रुपये की जागीर जो कि उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7928-जे० एन०(III)-66/11830, दिनांक 14 जून, 1966 के द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति सौंनी देवी, विधवा श्री हरि सिंह के नाम खरीफ़, 1967 से मंजूर की जाती है। इन अधिकारों का प्रयोग संनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा।

शुद्धि पत्र

दिनांक 18 अगस्त, 1969

क्रमांक 4137–रIII–69/20307—हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना जो कि क्रमांक 6272–रIII-69/8327, दिनांक 18 अप्रैल, 1969 द्वारा जारी हुई थी, में तीसरी लाईन में शब्द संनद तथा गई की भीतर 'भेजी' की जगह "में दी" क्रम संख्या 3 के सामने 'मुजराम' की जगह 'मुख राम' क्रम संख्या 9 की सामने गांव 'बहीयाना' की जगह 'बलीयाना' क्रम संख्या 14 के सामने गांव' चथवाना' की जगह 'चथवाना' क्रम संख्या 20 के सामने 'बोहात रमा' की जगह 'बोहत राम' क्रम संख्या 24 के सामने गांव 'तौहाय' की जगह 'तिहार' तथा क्रम संख्या 32 के सामने गांव 'नदीला दंगी' की जगह 'मदीना दंगी' समझा जावे।

युद्ध जागीर

क्रमांक 2966-रIII-69/20313.—श्री करम चन्द, पुत्र श्री बीरबल, निवासी कुराली बहादुर सिंह, तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला, की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 के अधीन, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री करम चन्द की मुबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7175-जे० एन० (3)-66/16100, दिनांक 8 जुलाई, 1966 के द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति दुरगा देवी, विधवा श्री करम चन्द के नाम रबी 1968 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग संनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा ।

शुद्धि पत्र

क्रमांक 4158-रIII-69/20318.—हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना जो कि क्रमांक 465-रIII-69/8560, दिनांक 22 अप्रेल, 1969 द्वारा जारी हुई थी, में क्रमांक संख्या 6 के सामने गांव कालम के नीचे 'थावना' की जगह 'धावना' क्रम संख्या 15 के सामने गांव 'कसहारो' की जगह 'काहारो' तथा क्रम संख्या 19 के सामने गांव 'थामलबास' की जगह 'धामलवास' समझा जावे ।

युद्ध जागीर

दिनांक 19 अगस्त, 1969

क्रमांक 3274–रIII–69/20451.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा (2ए) (1) और 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर श्री जुगलाल, पुत्र श्री चन्द गांव कनोदा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को संनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

यह अनुदान खरीफ 1965 से लागू होगा।

गुरचरण सिंह बिन्दरा, अवर सचिव

LATE NOTIFICATIONS